



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 09—अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2012

दिनांक: 09 मई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ संख्या—3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या—4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अभियन्ता/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
सर्वश्री			
1	राजीव कुमार शर्मा 89018 / अलीगढ़	सहायक अभियन्ता, उत्पादन निगम लि0। (प्रतिनियुक्ति पर)	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। (प्रतिनियुक्ति पर)
2	शैलेन्द्र गौड़ 89033 / कानपुर	सहायक अभियन्ता विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ। (प्रतिनियुक्ति पर)	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ। (प्रतिनियुक्ति पर)
3	अरविन्द कुमार सिंह 89063 / बागपत	सहायक अभियन्ता, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, नयी दिल्ली। (प्रतिनियुक्ति पर)	अधिशासी अभियन्ता, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, नयी दिल्ली। (प्रतिनियुक्ति पर)
4	राजीव मोहन 89064 / लखनऊ	सहायक अभियन्ता, उ0प्र0विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ। (प्रतिनियुक्ति पर)	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ। (प्रतिनियुक्ति पर)

2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79 / 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910—गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आद्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

4— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को उनकी नियमित तैनाती के उपरान्त कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900—प्रशि0-10 / पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार नियमित रूप से ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

२०११.
०१८-११-२०१३

वाला

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: ०९(१)अ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०१२ तदिनांक


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव/अपर प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अधिशासी निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणाञ्चल, आगरा/मध्याञ्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, वाराणसी/पश्चिमाञ्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रान्समिशन का०लि०।
- 5- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि०, नयी दिल्ली।
- 7- सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 8- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं०-४०७, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- उप सचिव (गोपन) / (प्रशिक्षण), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(नरेन्द्र पाटेल स्कॉलर)

उप सचिव


S. M. Patel